



भारत सरकार,

श्रम, लोक शिकायत तथा पेनिन मंत्रालय,

प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण विवरण,

कामचारी चयन आयोग,

ब्लॉक सं- 12, के ड्रिय कायलय पारसर, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110003।

भारत सरकार,

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग,

ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003.

(आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर 22-09-2025 को अपलोड किया जाएगा)

सूचना

दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	22-09-2025 से 21-10-2025
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय आवेदन फार्म	21-10-2025 (23:00 बंटे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	22-10-2025 (23:00 बंटे)
'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथियाँ।	29-10-2025 से 31-10-2025 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम	दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।	180 030 930 63

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास कर रही है जो

लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवार

आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया"

एफ. संख्या: मुख्यालय-सी-3020/2/2025-सी-3: दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, आयोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला पदों पर भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। देश के सभी भागों से उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। यह पद दिव्यांगजनों (PWD) के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। भर्ती परीक्षा की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: -

1.1 दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर एसएससी द्वारा परीक्षा नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।

1.2 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा।

- 1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) आयोजित की जाएगी केवल अंग्रेजी और हिंदी।
- 1.4 सीबीई के परिणाम घोषित होने के बाद, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई और एमटी) का आयोजन और आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, पीई और एमटी परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी।
- 1.5 उम्मीदवारों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का संग्रह और मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पीई और एमटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय किया जाएगा।
- 1.6 अंतिम परिणाम आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वे पीई एवं एमटी तथा परीक्षा की सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करें।
- 1.7 ऑनलाइन आवेदन पत्र, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, उत्तर कुंजी, परिणाम की घोषणा से संबंधित आरटीआई/लोक शिकायतें/अभ्यावेदन, और मेरिट सूची तैयार करने का काम एसएससी द्वारा किया जाएगा।
- 1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, उत्तर कुंजी, शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक परीक्षा (पीई) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (एमटी) में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की शॉटलिस्टिंग और अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम तैयार करने से संबंधित दिल्ली में उम्मीदवारों द्वारा दायर अदालती मामलों को दिल्ली पुलिस द्वारा देखा जाएगा। इन मामलों से संबंधित अन्य क्षेत्रों/दिल्ली से बाहर के अदालती मामलों को एसएससी द्वारा देखा जाएगा।
- 1.9 परीक्षा योजना, रिक्तियों, शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई और एमटी) के संचालन, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण आदि जैसे अन्य सभी मुद्रों से संबंधित अदालती मामले/आरटीआई/लोक शिकायतें/अभ्यावेदन दिल्ली पुलिस द्वारा निपटाए जाएँगे। पीई और एमटी/दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कोई भी शिकायत, यदि कोई हो, तो उम्मीदवार द्वारा उसी दिन दिल्ली पुलिस के भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी; उसके बाद, दिल्ली पुलिस/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. वेतनमान: वेतन स्तर-3 (₹ 21700- 69100/-) (समूह 'सी')

3. अनंतिम रिक्तियां: अनंतिम रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है: -

एस। नंबरी।	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या					
		यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी	एसटी कुल				
1	कांस्टेबल (कार्यकारी)-पुरुष कांस्टेबल	1914	456 967	729 342			4408
2	(कार्यकारी)-पुरुष [भूतपूर्व सैनिक (अन्य)]	107	26	54	62	36	285
3	कांस्टेबल (कार्यकारी)-पुरुष [भूतपूर्व सैनिक (कमांडो)]	106	25	56	138	51	376
4	कांस्टेबल (कार्यकारी)-महिला	1047	249 531		457 212		2496
	कुल रिक्तियां	3174	756 1608 1386 641				7565

नोट: रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। कुल रिक्तियों, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों के पृथक्करण के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

3.1 कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष की प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियाँ आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10% कोटे में से आधा, अर्थात् 50% कोटा, निम्नलिखित श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है: -

3.1.1 विशेष बल/एनएसजी (विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो या;

3.1.2 कमांडो पाठ्यक्रम में क्यूआई 'योग्य प्रशिक्षक' ग्रेडिंग प्राप्त की हो, या;

3.1.3 नौसेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने विशेष कमांडो प्रकार की इकाइयों में काम किया हो।

नोट 1: भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में आरक्षण एसएलपी (सिविल) संख्या 1980/2014-पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम पवन सिंह एवं अन्य तथा 1985/2014-पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम देवी राम एवं अन्य के परिणाम के अधीन है।

नोट 2: सीएपीएफ के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3.2 आयोग, दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा। रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रखरखाव, 'रिजर्व पैनल' और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. **राष्ट्रीयता/नागरिकता: अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।**

5. आयु सीमा: 01-07-2025 को 18-25 वर्ष। अभ्यर्थियों का जन्म 02-07-2000 से पहले और 01-07-2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है: -

कोड संख्या।	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है/आयु सीमा
01	एससी/एसटी	5 साल
02 ओबीसी 20	ऐसे विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो। (एससी/एसटी को छोड़कर)	3 वर्ष
21	ऐसे विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो (एससी/एसटी)	5 साल
22	दिल्ली पुलिस के विभागीय उम्मीदवार (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	10 वर्ष
23	दिल्ली पुलिस (ओबीसी) के विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	40 वर्ष तक
24	दिल्ली पुलिस के विभागीय उम्मीदवार 45 वर्ष तक	43 वर्ष तक

कोड संख्या।	वर्ग	जपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है/आयु सीमा
	(एससी/एसटी) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	
25	दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मियों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्र और पुत्रियां।	29 वर्ष तक
26	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के पश्चात 03 वर्ष।
27	भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की कटौती के पश्चात 06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष)।
28	भूतपूर्व सैनिक (एससी/एसटी)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की कटौती के पश्चात 08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष)।
29	विधवा, तलाकशुदा और न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। (ऐसे दावे के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।)	5 साल

5.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि तथा मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा बाद में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों को दोहरी छूट नहीं मिलती। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

5.4 आयु, ऊंचाई/छाती और शैक्षिक योग्यता में छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/हटाने/समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।

5.5 "विभागीय उम्मीदवार" से तात्पर्य दिल्ली पुलिस में भर्ती बैंडमैन, बिगुलर, घुड़सवार कांस्टेबल, डिस्ट्रीच राइडर, ड्राइवर, डॉग हैंडलर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ से है, जिसने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा की हो और जो अन्यथा सभी शैक्षिक और अन्य शारीरिक योग्यताएं पूरी करता हो।

5.6 भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें केन्द्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कांस्टेबल के रूप में पुनः भर्ती होने के पात्र हैं, यदि उनके सेवामुक्ति प्रमाण पत्र में पिछली सेवा अच्छी या उच्च वर्गीकरण/ग्रेडिंग की दर्शाई गई हो, बशर्ते कि:-

5.6.1 उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर सशस्त्र सेवाओं से सेवामुक्त कर दिया गया हो।

5.6.2 वे खुले बाजार से भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होते हैं तथा निर्धारित सहनशक्ति/दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण होते हैं।

5.6.3 वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए विकित्सकीय रूप से फिट हैं।

5.7 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार (राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह-ग/घ में उच्च ग्रेड या सर्वांग में एक और रोजगार प्राप्त करने के लिए ईएसएम के लिए निर्धारित आयु-छूट का लाभ दिया जाएगा। हालाँकि, ऐसा उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में ईएसएम के लिए आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। हालाँकि, यदि कोई ईएसएम किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए ईएसएम के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

हालाँकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, किसी भी पूर्व-सैनिक को किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों का तिथिवार विवरण देते हुए एक स्व-घोषणा/वचन देना होगा, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी पूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

5.8 सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सेवा" की अवधि को भी आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

5.9 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत ऐसे व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति है तथा वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

5.10 ऐसे सभी उम्मीदवार जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय विभाग से एक 'एनओसी' प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवामुक्ति की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी। सेवामुक्ति की तिथि/सशस्त्र बलों में निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना होगा।

5.11 मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सेना से विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो) जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, इस पद के लिए पात्र माना जाएगा।

5.12 भूतपूर्व सैनिकों के पुरुषों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

5.13 स्पष्टीकरण: 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:

5.13.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

- (i) जो पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हों; या
- (ii) जिसकी सेवामुक्ति पुस्तिका पर भूतपूर्व सैनिकों का पृष्ठांकन है; या
- (iii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो;

या

- (iv) जो स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; या
- (v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात्, उसके स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बखास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से कार्यमुक्त नहीं किया गया गया है, और उसे उपदान दिया गया है; और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक सम्मिलित हैं, अर्थात्:

क. निरंतर सेवा के लिए पेंशन धारक, ख. सैन्य सेवा के कारण विकलांगता वाले व्यक्ति; और

ग. वीरता पुरस्कार विजेता

5.13.2 तथापि, प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को 15-11-1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्र का प्रारूप:

- 6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जहां भी निर्दिष्ट किया गया हो) जब भी दिल्ली पुलिस द्वारा पीई और एमटी/दस्तावेज के समय ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं।

सत्यापन। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आदि के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा, यदि उम्मीदवार ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/यूआर में ही माना जाएगा। प्रमाण पत्रों के प्रारूप परीक्षा सूचना के साथ संलग्न हैं।

- 6.2 ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार ही लाभ प्राप्त होगा। यह छूट उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता के अनुसार इस आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायिक तिथि तक क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इसके लिए निर्णायिक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।

प्रपत्र। "निर्णायिक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

- 6.3 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(निवास) के अनुसार अनुलग्नक-VIII के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो। निर्णायिक तिथि

इस प्रयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी प्रपत्र। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

- 6.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्णायक तिथि पर प्राप्ति के अनुसार आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि उम्मीदवार उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

7. आवश्यक योग्यता (21-10-2025 तक, अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक)

- 7.1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण। शैक्षिक योग्यता 11वीं उत्तीर्ण तक छूट योग्य है :

- 7.1.1 सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस कर्मियों के पुत्र/पुत्रियाँ
दिल्ली पुलिस के कार्मिक/मर्टी-टास्किंग स्टाफ, और

- 7.1.2 केवल दिल्ली पुलिस के बैण्डमैन, बिगुल वादक, घुड़सवार कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर आदि।

- 7.2 पुरुष अभ्यर्थियों के पास पीई और एमटी की तिथि तक एलएमवी (मोटरसाइकिल या कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस स्वीकार्य नहीं है।

- 7.3 जिन अभ्यर्थियों ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है

निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 7.4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10-06-2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई सभी डिप्लियॉ/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के लिए स्वतः ही मान्यता प्राप्त हो जाती हैं, बशर्ते कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। हालाँकि, ऐसी डिप्लियॉ उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए जब उम्मीदवार ने उक्त योग्यता प्राप्त की हो।

- 7.5 यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017, जो 23-06-2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, के भाग-III (8)(v) के अनुसार, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि कार्यक्रमों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इमूं द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग में बी.टेक. डिप्ली/डिप्लोमा, जहाँ भी लागू हो, मान्य मानी जाएगी।

- 7.6 आयोग द्वारा शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई और एमटी) के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में अपेक्षित शैक्षिक योग्यता पूरी करने के लिए प्रासंगिक प्रमाण पत्र जैसे अंकतालिका, अनंतिम प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वे उम्मीदवार, जो दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा यह साबित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि तक या उससे पहले घोषित किया गया था।

ऑफ डेट और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उसे भी शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित परिणाम

शैक्षिक योग्यता संबंधित बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित की जानी चाहिए। बोर्ड द्वारा केवल महत्वपूर्ण कट-ऑफ तिथि तक परिणाम संसाधित करने से EQ की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

7.7 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन: 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को निम्नलिखित पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा: -

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन/ बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

टिप्पणी:

- (i) लाभ केवल पीई और एमटी / दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र (सत्यापन के अधीन) प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।
- (ii) इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।
- (iii) यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

7.8 अतिरिक्त अंकों का वेटेज़: राष्ट्रीय रक्षा विश्विवालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जो निम्नलिखित पैमाने पर होगा: -

डिग्री में प्राप्त कक्षा/ पद स्नातकोत्तर सनद	अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे
भेद	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4%
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
कक्षा उत्तीर्ण	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

टिप्पणी:

- (i) लाभ केवल पीई और एमटी / दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावों का समर्थन करने वाले मूल प्रमाण पत्र (इसके सत्यापन के अधीन) प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। (ii) इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।

8. आवेदन कैसे करें:

- 8.1 इस परीक्षा सूचना के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना एकमुश्त पंजीकरण (OTR) पूरा करना होगा। पुरानी वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर पहले से जनरेट किया गया OTR नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। OTR के बाद, उम्मीदवार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर OTR जनरेट हो जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया परीक्षा सूचना के अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II देखें।

एकमुश्त पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का नमूना प्रोफार्मा अनुलग्नक-IA और अनुलग्नक-IIA के रूप में संलग्न है।

8.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाना चाहिए, या तो एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर या 'माई एसएससी' मोबाइल एप्लिकेशन (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस परीक्षा के अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II देखें।

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल ऐप से संबंधित सूचना तथा दिनांक 02.06.2025 की सूचना। एकमुश्त पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र अनुलग्नक-IA और अनुलग्नक-IIA के रूप में संलग्न है।

8.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए हाल ही की रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास पहले से मौजूद अपनी तस्वीर होना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की वास्तविक समय की तस्वीर ली जा सके। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा/बैठना होगा और तस्वीर लेते समय निम्नलिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा: -

- (i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान ढूँढें।
 - (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो।
 - (iii) अपने आप को कैमरे के ठीक सामने रखें और सीधे सामने देखें।
 - (iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए, और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।
- कैमरा.
- (v) फोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

स्वीकार्य/अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने अनुलग्नक-III(4/4) में दिए गए हैं।

8.5 परीक्षा में बैठते समय उम्मीदवार का रूप-रंग ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होना चाहिए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीर ली गई हो, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालांकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएँगे।

8.6 अभ्यर्थियों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर JPEG प्रारूप (10 से 15 सेमी) में अपलोड करने होंगे।

20 KB)। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धूधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके जमा किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र उपरोक्त आधारों पर अस्वीकार नहीं किए जाएँगे।

8.7 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय 21-10-2025 (23:00 बजे) है।

8.8 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण एसएससी वेबसाइट पर लॉग इन करने में कनेक्शन टूटने/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

8.9 यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कारणों से या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखने की सलाह दी जाती है।

8.11 उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज़ों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी दी है।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क और भुगतान का तरीका:

9.1 देय शुल्क: ₹100/- (केवल एक सौ रुपये)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के लिए पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

9.4 अध्यर्थी 22-10-2025 (23:00 बजे) तक केवल ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

9.6 जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एसएससी में जमा हो गया है। यदि एसएससी को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाती है, और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। इसके अलावा, उम्मीदवार अपनी लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए 'भुगतान स्थिति' लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। ऐसा ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरा रह जाता है, उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, और

परीक्षा की सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र और शुल्क भुगतान पर विचार करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 9.7 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।
- 9.8 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी मुद्दा/चिंता उम्मीदवार के कार्यालय में दर्ज की जा सकती है। फ़िडबैक तंत्र के माध्यम से लॉगिन पोर्टल।

10. ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो [29-10-2025 से 31-10-2025 (23:00 बजे)]:

- 10.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र मापदंडों को सही/संशोधित करने के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकमुश्त पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पत्र को फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार विंडो' के दौरान अपने संशोधित/संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को दो बार सुधारने और पुनः जमा करने की अनुमति होगी। अर्थात्, यदि उसने अपने अद्यतन ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी कोई गलती की है, तो उसे आवश्यक सुधार/संशोधन करने के बाद एक और संशोधित/संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा करने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई और सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपेक्षित शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया गया है।
- 10.4 नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पिछला ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- 10.5 आयोग पहली बार सुधार करने और संशोधित/संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को पुनः जमा करने के लिए ₹200/- (केवल दो सौ रुपये) का एक समान सुधार शुल्क लगाएगा और पहली बार संशोधित/संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को पुनः जमा करने के लिए ₹500/- का एक समान सुधार शुल्क लगाएगा। (पाँच सौ रुपये) का शुल्क सुधार करने और संशोधित/संशोधित आवेदन को दूसरी बार पुनः जमा करने के लिए देना होगा। सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।
- 10.6 सुधार शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 10.7 एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। न ही उन्हें किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 10.8 संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि, प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र:

11.1 अध्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) का उल्लेख करना होगा जहाँ वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है। परीक्षा केंद्रों और उन क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, इस प्रकार है: -

एवं नहीं	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	एसएससी क्षेत्र और क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय का पता कार्यालय/वेबसाइट
1 भाग	गालपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203)।	केन्द्रीय क्षेत्र (करोड़)/ बिहार और उत्तर प्रदेश प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (सीआर), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज - 211001। http://www.ssc-cr.org
2 श्री	विजया पुरम (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासौर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्द्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सूरी (4416), ढेकनाल (4611)।	पूर्वी क्षेत्र (ईआर)/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखण्ड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (ईआर), कर्मचारी चयन आयोग, 8 ज़मीन, 1 एमएसओ बिल्डिंग, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 www.sscer.org
3 बेलगावी	गावी (9002), बैंगलुरु (9001), हुबली (9011), कालाबुरागी (गुलबग्हा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोड्डिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कावारत्ती (9401)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (केकेआर)/ लक्ष्मीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केकेआर), कर्मचारी चयन आयोग, 1 मंजिल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बैंगलुरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4 भोगल	ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014) सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश (एमपीआर)/ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (एमपीआर), कर्मचारी चयन आयोग, 5वीं मंजिल, निवेश भवन, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर छत्तीसगढ़-492004. www.sscmpr.org
5 ईदानगर	गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501),	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)/ अरुणाचल प्रदेश, असम,	क्षेत्रीय निदेशक (एनईआर), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स,

	चुराचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइज़वाल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)।	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा। और	लास्ट गेट, बसिष्ठा रोड, बेलटोला-पी.ओ. असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रुड़की (2006)।	उत्तरी क्षेत्र ^(एनआर) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखण्ड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 (www.sscnrc.nic.in)
7	चंडीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)।	उत्तर पश्चिमी ^(एनडब्ल्यूआर) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कर्मचारी आयोग, चयन ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंद्री (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद/सिंकंदराबाद (8601), वारंगल (8603), औंगोल (8014), सिद्धीपेट (3206), थूथुकुड़ी (3210), करूर (3203).	दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (एसआर), कर्मचारी चयन आयोग, 2 [ं] फ्लोर, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पंजाब (7801), अहमदाबाद/ गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)।	पश्चिमी क्षेत्र ^(डब्ल्यूआर) / दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (डब्ल्यूआर), कर्मचारी आयोग, चयन 1 [ं] मंजिल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

11.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता क्रम में तीन केंद्रों (देश में कहीं भी) को चुनने का विकल्प है। बाद में किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उन्हें सही ढंग से दर्शाना चाहिए।

11.3 आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, आयोग ऊपर पैरा 12.1 में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. परीक्षा योजना:

12.1 परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षण (पीई और एमटी) शामिल होंगे, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की मेडिकल परीक्षा होगी।

12.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा वेबसाइट पर दिनांक 02-06-2025 के नोटिस के माध्यम से प्रकाशित फार्मूले का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा, और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग परीक्षा की अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.3 सूचना में उल्लिखित सीबीई के आयोजन का कार्यक्रम अस्थायी है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की सूचना उम्मीदवारों को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा जिसमें 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे।

निम्नलिखित संरचना के साथ:-

भाग	विषय	की संख्या प्रश्न	अधिकतम निशान	अवधि/अनुमत समय
भाग-ए सामान्य ज्ञान/सामयिकी		50	50	90 मिनट
भाग-बी तर्क		25	25	
भाग-सी संख्यात्मक क्षमता		15	15	
भाग-डी कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउज़र, आदि।		10	10	

12.4 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) होगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

12.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

12.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियाँ, सीबीई आयोजित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएँगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रति प्रश्न ₹50/- का भुगतान करके ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा। इस विषय पर किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन की अंतिम रूप देने से पहले जांच की जाएगी। उत्तर कुंजी के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अंतिम उत्तर कुंजियाँ और अंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएँगे।

12.8 सूचना में दर्शाया गया परीक्षा कार्यक्रम अस्थायी है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

12.9 परीक्षा के किसी भी चरण/प्रश्नपत्र के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: -

12.10.1 सामान्य ज्ञान/समसामयिक घटनाएँ: इस घटक के प्रश्न अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से होंगे। प्रश्न समसामयिक घटनाओं और दैनिक अवलोकनों एवं अनुभवों के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलू के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी तैयार किए जाएँगे, जिनकी अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।

12.10.2 तर्क: विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचानने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में सादृश्य, समानताएँ और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य समृद्धि, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणाएँ, अंकगणितीय कारण और आलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, अशाब्दिक शृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

12.10.3 संख्यात्मक योग्यता: इस भाग में संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं, दशमलव और भिन्नों की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, व्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

12.10.4 कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र आदि: वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व (वर्ड प्रोसेसिंग की मूल बारें, दस्तावेज़ खोलना और बंद करना, टेक्स्ट निर्माण, टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग और उसकी प्रस्तुति विशेषताएँ)। एमएस एक्सेल (स्प्रेडशीट के तत्व, सेल्स, फ़ंक्शन और फ़ार्मुलों का संपादन), संचार (ई-मेल के मूल सिद्धांत, ईमेल भेजना/प्राप्त करना और उनसे संबंधित कार्य)। इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएँ, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर, सर्च

इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग)।

12.11 प्रश्न पत्र मैट्रिक्युलेशन स्तर का होगा।

12.12 शारीरिक सहनशक्ति और मापन परीक्षण (पीई और एमटी): शारीरिक सहनशक्ति और मापन परीक्षण का मानक निम्नानुसार है: -

12.13 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण: भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण का मानक निम्नानुसार होगा: -

आयु	दौड़: 1600 मीटर लंबी कूद ऊँची कूद		
30 वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3'9"
30 से 40 वर्ष से ऊपर	7 मिनट	13 फीट	3'6"
40 वर्ष से ऊपर	8 मिनट	12 फीट	3'3"

12.14 दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी लंबी कूद और फिर ऊँची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊँची कूद, अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण होनी चाहिए। दौड़/लंबी कूद/ऊँची कूद में अयोग्यता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

12.15 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप का मानक:

12.15.1 शारीरिक माप-तौल परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे। शारीरिक माप-तौल का मानक इस प्रकार है: -

12.15.2 ऊँचाई: न्यूनतम 170 सेमी, छूट: -

12.15.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों, यारी गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखाओं, डोगरा, मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 05 सेमी। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख राज्य। (इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्,

(शारीरिक माप परीक्षण के समय उनके निवास स्थान के डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से संपर्क करें।) प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-IX में संलग्न है।

12.15.2.2 एसटी उम्मीदवारों के लिए 05 सेमी।

12.15.2.3 सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के मामले में 05 सेमी।

12.15.3 छाती: 81 सेमी न्यूनतम 04 सेमी विस्तार के साथ (अर्थात्, 81 - 85 सेमी), छूट निम्न प्रकार से दी जा सकती है:

12.15.3.1 उपरोक्त पैरा 12.14.2.1 में सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 05 सेमी।

12.15.3.2 एसटी उम्मीदवारों के लिए 05 सेमी।

12.15.3.3 सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के मामले में 05 सेमी।

12.16 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण: विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण का मानक निम्नानुसार होगा: -

आयु	दौड़: 1600 मीटर लंबी कूद		उच्च कूदना
30 वर्ष तक	8 मिनट	10 फीट	3'

30 से 40 वर्ष से ऊपर	9 मिनट	09 फीट	2'9"
40 वर्ष से ऊपर	10 मिनटों	08 फीट	2'6"

12.17 दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी लंबी कूद और फिर ऊँची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊँची कूद, अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण होनी चाहिए। दौड़/लंबी कूद/ऊँची कूद में अयोग्यता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

12.18 शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षण (पीई एवं एमटी) के समय गर्भवती, प्रसव पीड़ा से पीड़ित या गर्भपात से पीड़ित महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रसव अवधि समाप्त होने तक उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जा सकते हैं।

और रिक्तियाँ आरक्षित रखी जाएँगी। प्रसव की अवधि समाप्त होने के छह सप्ताह बाद, पंजीकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पुनः परीक्षा ली जाएगी। प्रसव की अवधि इस प्रकार होगी: -

(i) बच्चे के जन्म की तारीख से 06 (छह) महीने,

(ii) गर्भपात की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिन।

यदि वह शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (पीई एवं एमटी) में उत्तीर्ण घोषित की जाती है, तो उसका परिणाम परीक्षा की योग्यता के अनुसार घोषित किया जाएगा। उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा।

12.19 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप का मानक:

12.19.1 शारीरिक माप-तौल परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे। शारीरिक माप-तौल का मानक इस प्रकार है: -

12.19.2 ऊँचाई: न्यूनतम् 157 सेमी, छूट योग्य:

12.19.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों, अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊँनी, गोरखाओं, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागार्जुना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 02 सेमी। (इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(शारीरिक माप परीक्षण के समय उनके निवास स्थान के डीसी/डीएम/एसडीएम या तहसीलदार से संपर्क करें।) प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-IX में संलग्न है।

12.19.2.2 एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 02 सेमी।

12.19.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ की पुत्रियों के मामले में 05 सेमी।

12.20 ऊपर उल्लिखित ऊँचाई और छाती में छूट (जैसा भी मामला हो) केवल उन उम्मीदवारों को स्वीकार्य होगी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम के तहत अपनी श्रेणी के अनुसार छूट चाहते हैं और पीई और एमटी के समय अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12.21 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्डों, अर्थात् ऊँचाई और छाती के मामले में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे यदि चाहें तो उसी दिन अपील कर सकते हैं।

पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण में कोई अपील नहीं है।

12.22 शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण (पीई एवं एमटी) तथा चिकित्सा परीक्षा का संचालन पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी होगी। आयोग शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण (पीई एवं एमटी)/चिकित्सा परीक्षा के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीजीआरएएम पर विचार नहीं करेगा।

नोट: - यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पहले शारीरिक क्षमता परीक्षण और मापन परीक्षण (पीई और एमटी) में भाग ले चुका है और दौड़, ऊँची कूद या लंबी कूद जैसी किसी भी स्पर्धा में अयोग्य पाया जाता है, तो उसका परिणाम अंतिम माना जाएगा। यदि कोई अयोग्य अभ्यर्थी अपनी पिछली भागीदारी या अयोग्यता को छिपाते हुए पुनः परीक्षा में शामिल होता है और बाद में उत्तीर्ण हो जाता है, तो शारीरिक क्षमता परीक्षण का मूल परिणाम मान्य होगा।

13. चिकित्सा मानक:

13.1 उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दोष/विकृति/रोग से मुक्त होना चाहिए, दोनों आँखों में बिना चश्मे के दृष्टि 6/12 होनी चाहिए, वर्णांधता से मुक्त होना चाहिए और दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार के लिए चश्मा पहनने या किसी भी प्रकार की सर्जरी जैसे किसी भी सुधार से मुक्त होना चाहिए। ऐसे किसी भी दोष, विकृति या रोग से मुक्त होना चाहिए जो कर्तव्यों के कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो। इस संबंध में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

13.2 शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार्य हैं
नीचे:-

13.2.1 विषय-वस्तु - भारतीय सेना में प्रचलित धार्मिक प्रतीकों या आकृतियों और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति होगी।

13.2.2 स्थान - शरीर के पारंपरिक स्थानों पर अंकित टैटू, जैसे कि अग्रबाहु का आंतरिक भाग, लेकिन केवल बायीं अग्रबाहु, जो सलामी देने वाला अंग नहीं है या हाथों का पृष्ठ भाग है, की अनुमति होगी।

13.2.3 आकार - आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के 1/4 से कम होना चाहिए।

14. परीक्षा केंद्र में प्रवेश:

14.1 इस परीक्षा सूचना के अनुसार अंतिम तिथि और समय तक पंजीकरण कराने वाले सभी उम्मीदवारों, जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाया जाता है और इस परीक्षा सूचना की शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर और प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किया जाएगा। इसके बाद, चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरण के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

14.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए विस्तृत जांच नहीं करेगा, और इसलिए, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी

केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक योग्यताएँ, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानक आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और स्वयं को संतुष्ट करें कि वे पद के लिए पात्र हैं। पीई और एमटी/दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ मांगी जाएँगी।

जांच के दौरान यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और निर्णय

आयोग/दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम होगा।

14.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएँगे। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट देखते रहें।

14.4 परीक्षा की जानकारी, जिसमें उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की समय-सारिणी और शहर/केंद्र का उल्लेख होगा, परीक्षा की तिथि से लगभग दो सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। ऐसा न करने पर उसे किसी भी विचारणीय दावे से वंचित कर दिया जाएगा।

14.5 आयोग को कोई भी पत्र लिखते समय अभ्यर्थियों को पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ-साथ नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम भी अवश्य लिखना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.6 प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट लाना होगा।
बड़ा कमरा।

14.7 जिन उम्मीदवारों ने आधार-आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से कम से कम दो (2) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ, प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे:

14.7.1 मतदाता पहचान पत्र,

14.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस,

14.7.3 पैन कार्ड,

14.7.4 पासपोर्ट,

14.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड,

14.7.6 नियोक्ता आईडी कार्ड (सरकारी/पीएसयू),

14.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक।

14.7.8 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र सहित कोई अन्य फोटो।

14.8 यदि किसी फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (जैसे, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र) साथ लाना होगा। उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन डेटा और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में अंतर होने पर, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.9 प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होते समय साथ लाना होगा।

14.10 धूंधली तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएँगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो, और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। निर्देशों के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें ली गई हों, अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालाँकि, ऐसी अस्वीकृति उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार-आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।

14.11 शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक प्रशिक्षण (पीई) एवं मानसिक प्रशिक्षण (एमटी) में शामिल होने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के प्रवेश प्रमाण पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट (अर्थात्, <https://delhipolice.gov.in/>)। उम्मीदवारों को पीई और एमटी के संचालन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

15. दस्तावेज़ सत्यापन:

15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुने गए सभी उम्मीदवार और जो पीई और एमटी (यानी दौड़, लंबी

कूद/ऊँची कूद और शारीरिक माप) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा सूचना के पैरा 15.3 में उल्लिखित मूल दस्तावेजों और फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। दस्तावेज़ सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा।

15.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा, जैसा कि ऊपर पैरा 14.7 में सूचीबद्ध है।

15.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जैसे:

15.3.1 मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी सर्टिफिकेट.

15.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

15.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संरच्या और दिनांक के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत उसे आवश्यक योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में ऐसा माना गया है।

15.3.4 ड्राइविंग लाइसेंस (मोटरसाइकिल या कार) केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए।

15.3.5 जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि वह आरक्षित वर्ग से संबंधित हो।

15.3.6 पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-IX), यदि लागू हो।

15.3.7 भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:

15.3.7.1 सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र/ अनुबंध-IV(ए) एवं IV(बी) के अनुसार एनओसी, यदि लागू हो।

15.3.7.2 अनुलग्नक-V के अनुसार वचनबद्धता।

15.3.7.3 सशस्त्र बलों से छुट्टी मिलने पर, सेवामुक्ति प्रमाण पत्र,

15.3.8 यदि आयु में छूट चाह रहे हों तो प्रासांगिक प्रमाण पत्र।

15.3.9 दिल्ली पुलिस कार्मिकों/दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को जारी किया गया वार्ड प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-XIII), यदि लागू हो।

15.3.10 खेल प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-XI या XII), यदि लागू हो।

15.3.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-XIV), यदि लागू हो।

15.3.12 अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पहले से ही सरकारी/
सरकारी उपक्रम।

15.3.13 एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी, यदि लागू हो।

15.3.14 आरआरयू प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

15.3.15 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिक्युलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

15.3.15.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का शपथ पत्र;

15.3.15.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी का शपथ पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ।

15.3.15.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेकर तलाक के आदेश और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

15.3.15.4 अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन हेतु: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/डीड पोल तथा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.3.16 पी.ई. एवं एम.टी./डी.वी. के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16. चयन का तरीका:

16.1 भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई), शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षण (पीई और एमटी) / दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

16.2 जिन उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाया जाएगा, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी उम्मीदवारों के लिए केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट <https://ssc.gov.in/> पर अपलोड किए जाएंगे।

16.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें धुंधला/बिना हस्ताक्षर/छोटे हस्ताक्षर, शुल्क प्राप्त नहीं/अधूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र आदि हों, अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। स्वीकार्य/अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने अनुलग्नक-III (4/4) में दिए गए हैं। यदि ली गई तस्वीर स्वीकार्य नमूने के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तस्वीर दोबारा लें।

जिन आवेदनों में तस्वीरें स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं होंगी, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को, खींची गई तस्वीर और हस्ताक्षर के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए।

16.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

16.5 नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंक (सामान्यीकृत) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण अर्थात् पीई एवं एमटी/डीवी के लिए चयन हेतु पात्र माना जाएगा:

16.5.1 अनारक्षित: 35

16.5.2 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 30

16.5.3 ईएसएम: 25

16.6 पीई और एमटी/डीवी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर पीई और एमटी/डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से लगभग 12 गुना होगी।

16.7 शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (पीई)/मटी/डीवी के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट (अर्थात् <https://delhipolice.gov.in>) पर जारी किए जाएंगे। शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (पीई)/मटी/डीवी का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा केवल दिल्ली में ही किया जाएगा।

16.8 पी.ई. एवं एम.टी. आवश्यक होगी, लेकिन यह अर्हक प्रकृति की होगी।

16.9 दस्तावेज सत्यापन (अर्थात्, उम्मीदवारों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का संग्रह और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) पीई और एमटी के समय दिल्ली पुलिस द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पीई और एमटी की सभी स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे।

16.10 जो अभ्यर्थी पीई एवं एमटी तथा दस्तावेज सत्यापन में अर्ह होंगे, उन्हें अंतिम मेरिट सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

16.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की एक अंतिम चयन सूची, अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी।

16.12 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार, जो बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ चुने गए हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित हिस्से में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को समग्र मेरिट सूची में उनके स्थान के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों में से अलग से भरा जाएगा।

16.13 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम उम्मीदवार जो छूट प्राप्त मानकों जैसे आयु सीमा, ऊचाई और छाती का माप, अनुभव या योग्यता, अवसरों की अनुमति संख्या, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रदान की गई तुलना में विचार का विस्तारित क्षेत्र आदि के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम उम्मीदवारों को

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु से की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के विरुद्ध अनुमन्य है और ऐसी छूट को आयु के संबंध में शिथिल मानक नहीं कहा जाता है।

16.14 अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए, समय-समय पर संशोधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम-9, 14 (सी) और नियम-24 (परिशिष्ट) के अनुसार, विभिन्न अस्पतालों के लिए रोल नंबर के अनुसार उम्मीदवारों को नामित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

16.15 15% अभ्यर्थियों का एक 'रिजर्व पैनल' भी तैयार किया जाएगा और दिल्ली पुलिस को एक सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन और रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या- HRD/4/2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची का संचालन पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आयोग 'रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

16.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (पीई) और चिकित्सा परीक्षा से पहले या बाद में, साथ ही नियुक्ति/सेवा में शामिल होने के प्रस्ताव जारी होने के बाद, सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी उम्मीदवारी/चयन रद्द कर दिया जाएगा।

16.17 परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि सरकार ऐसी जांच के बाद, जिसे आवश्यक समझा जाए, संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

16.18 यदि परीक्षा के सीबीई में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश अगले चरण/अंतिम चयन के लिए योग्य नहीं है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पूर्व, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन करना होगा।

16.19 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और अंतिम परिणाम की घोषणा से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस से संपर्क करना होगा।

16.20 सभी चयनित उम्मीदवारों के मामले, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत है/जांच लंबित है/न्यायालय में मुकदमा लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या 16.20 के प्रावधानों के मद्देनजर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

एचआरडी/12/2025. विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामले जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/प्रारंभिक जांच/आपराधिक मामला/सतर्कता जांच चल रही हो,
आदि के लंबित मामलों को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मामलों के अंतिम निर्णय तक लंबित रखा जाएगा, तथा उनके मामलों का निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों के अंतिम निर्णय के बाद योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

16.21 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है, और

सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकना भी शामिल है।

17. टाई मामलों का समाधान:

17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में समानता होने की स्थिति में, ऐसे मामलों को निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके एक के बाद एक हल किया जाएगा, जब तक कि समानता का समाधान न हो जाए:

17.1.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ए में अंक।

17.1.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-बी में अंक।

17.1.3 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को ऊपर स्थान दिया जाएगा।

17.1.4 अभ्यर्थियों के नामों का वर्णनुक्रम।

18. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

18.1 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके बाद नीचे सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में किसी भी स्तर पर लिप्त पाया जाता है, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें नीचे उल्लिखित अवधि के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का विवरण	रोक अवधि
1.	परीक्षा के दौरान परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे रफ शीट, आयोग के प्रवेश प्रमाण पत्र की प्रति आदि को परीक्षा हॉल से ले जाना या अनधिकृत व्यक्तियों को देना।	01 - 02 वर्ष
2.	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पहले परीक्षा स्थल छोड़ना संभव नहीं है।	01 वर्ष
3.	परीक्षा अधिकारियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या आयोग के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करना, डराना या धमकी देना। प्रतिनिधि आदि।	02 - 03 वर्ष
4.	परीक्षा के संचालन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष
5.	जानबूझकर गलत या झूठे बयान देना/महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01 - 03 वर्ष
6.	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	03 वर्ष
7.	मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस डिवाइस, जासूसी कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना। परीक्षा हॉल।	03 - 05 वर्ष
8.	एक ही परीक्षा में अधिक बार उपस्थित होना या प्रयास करना नियमों का उल्लंघन करते हुए एक से अधिक बार ऐसा किया गया।	02 - 05 वर्ष
9.	एक उम्मीदवार जो परीक्षा के रूप में भी काम कर रहा है उसी परीक्षा में पदाधिकारी।	03 वर्ष
10.	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित नुकसान पहुंचाना बुनियादी ढांचे/उपकरण।	01 - 03 वर्ष

11.	जाली दस्तावेजों के साथ परीक्षा में उपस्थित होना या प्रयास करना प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण, आदि।	03 - 05 वर्ष
12.	किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र/हथियार रखना या परीक्षा अधिकारियों को हथियार/ आग्नेयास्त्र से धमकाना/डराना या हमला करना, बल प्रयोग करना, पर्यावरक जैसे परीक्षा अधिकारियों को किसी भी प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाना। निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या आयोग के प्रतिनिधि आदि।	07 वर्ष
13.	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना जैसे अनाधिकृत स्रोतों से नकल करना, किसी कागज या शरीर के अंग पर लिखित सामग्री आदि।	07 वर्ष
14.	किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना / प्रतिरूपण करवाना।	07 वर्ष
15.	प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री, प्रयोगशाला आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16.	रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से परीक्षा टार्मिनल साझा करना सॉफ्टवेयर/ऐप्स/लैन/वेन आदि।	07 वर्ष
17.	परीक्षा सर्वर, डेटा को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है।	07 वर्ष
18.	अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग भर्तियों में एक ही फोटोग्राफ के साथ आवेदन करना, जिसमें अलग-अलग व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि आदि शामिल हों, या इसके विपरीत।	01 - 05 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो मामले की सूचना पुलिस/जांच एजेंसियों को भी दे सकता है। इसके अलावा, आयोग संबंधित
प्राधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जाँच करवाने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

वैरह।

19. आयोग का अंतिम निर्णय:

19.1 प्रात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन,
परीक्षा केंद्रों का आवंटन और मेरिट सूची तैयार करना, कदाचार में लिप्त होने पर रोक से संबंधित सभी मामलों में आयोग का
निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया
जाएगा।

20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

20.1 इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालयों/
न्यायाधिकरणों के अधीन होगा जहां उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है।

परीक्षा।

21. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

1.	आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा की सूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित है; किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
----	---

2.	<p>अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण एसएससी वेबसाइट पर लॉग इन करने में कनेक्शन कटने/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।</p>
3.	<p>अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिक्युलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यदि दस्तावेज सत्यापन या किसी अन्य समय नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।</p>
4.	<p>सभी उम्मीदवार, जो इस सूचना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (अर्थात https://ssc.gov.in) पर अपना वन-टाइम पंजीकरण (OTR) जनरेट नहीं किया है, उन्हें ऐसा करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर जनरेट किया गया OTR नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। OTR के बाद, उम्मीदवार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर OTR जनरेट हो जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। OTR के लिए विस्तृत निर्देश इस परीक्षा सूचना के अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।</p>
5.	<p>आयोग ने इस परीक्षा में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया है। तदनुसार, सभी उम्मीदवारों के पास परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एकमुश्त पंजीकरण के समय आधार का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित करने का विकल्प होगा। जो उम्मीदवार आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपना एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे: -</p> <p>(i) नाम का प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र और पेंशन दस्तावेज़।</p> <p>(ii) जन्म तिथि का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, (iii) पते का प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित तस्वीर के साथ बैंक स्टेटमेंट, किराया समझौता और आयकर मूल्यांकन आदेश।</p> <p>(iv) फोटोग्राफ़।</p> <p>(v) लिंग प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रमाणपत्र।</p>
6.	<p>दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक परीक्षा और मानसिक परीक्षा (पीई)/मौखिक सत्यापन (डीवी) के समय उम्मीदवारों से दस्तावेज एकत्र किए जाएँगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने के बाद ही उम्मीदवारी अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आवश्यक योग्यताएँ, आयु, शारीरिक मानक आदि की जाँच कर लें और स्वयं संतुष्ट हो लें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। शारीरिक परीक्षा और मानसिक परीक्षा (पीई) के समय दस्तावेज़ों की जाँच के दौरान, यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा सही नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।</p>

7.	<p>इस नोटिस के प्रावधानों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या किसी अन्य छूट के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ की मांग करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। पीई और एमटी/डीवी के दौरान प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उन्हें अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी रखना चाहिए अन्यथा एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के तहत माना जाएगा। इसके अलावा, यदि उम्मीदवार ने किसी अन्य आयु-छूट की मांग की है और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी, यानी एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/यूआर में माना जाएगा।</p>
8.	<p>8. ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रखना चाहिए। हालाँकि, 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट आयोग/दिल्ली पुलिस को जमा करना आवश्यक नहीं है।</p>
9.	<p>परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें। यदि किसी उम्मीदवार के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएँगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी चरण में) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे नियमों के अनुसार आयोग की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।</p>
10.	<p>निर्देशों के अनुसार न होने वाले, अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएँगे।</p>
11.	<p>आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पहले से मौजूद अपनी तस्वीर होना ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की तस्वीरें लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। अगर ली गई तस्वीर निर्देशों के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तस्वीर दोबारा लें। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीर ली गई हो, अस्वीकार कर दिए जाएँगे। परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार ही होनी चाहिए।</p> <p>स्वीकार्य/अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने अनुलग्नक-III(4/4) में दिए गए हैं। अपनी तस्वीरें लेने के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान ढूँढें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो। 3. अपने आप को कैमरे के ठीक सामने रखें और सीधे सामने देखें।

	<p>4. सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा चिह्नित लाल आयताकार क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए, और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।</p> <p>5. फोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।</p> <p>6. उम्मीदवारों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर JPEG प्रारूप (10 से 20 KB) में अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर का आकार लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>हालाँकि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
12.	<p>ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के मापदंडों में सुधार/संशोधन करने के लिए 2 दिनों का समय प्रदान करेगा, जिसके दौरान उम्मीदवारों को अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र के डेटा में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा करने की अनुमति होगी। परीक्षा सूचना के पैरा-10 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य माना जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अनदेखा कर दिया जाएगा।</p>
13.	<p>संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद या 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि, प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
14.	<p>अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है।</p>
15.	<p>उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन तस्वीरें और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि मुद्रित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में विसंगति होने पर, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
16.	<p>आयोग सत्यापन के लिए उम्मीदवारों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त हो। परीक्षा के दौरान कुछ लोगों द्वारा उम्मीदवारों का रूप धारण करने की कोशिश के मामले देखे गए हैं।</p> <p>चूंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय तस्वीर लाइव खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के स्वरूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।</p> <p>आयोजन स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध उम्मीदवार को प्रवेश न देने के लिए अधिकृत किया गया है।</p>

	<p>परीक्षा। इसलिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपनी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें ली गई हैं, अस्वीकार कर दिए जाएँगे।</p>
17.	<p>जिन अभ्यर्थियों ने आधार कार्ड से अपना प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो (02) घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के अलावा, परीक्षा में यह प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।</p> <p>हाँल में कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी प्रमाण जिसमें प्रवेश प्रमाण पत्र पर छपी पूरी जन्मतिथि हो, जैसे:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ड्राइविंग लाइसेंस, ii. पैन कार्ड iii. पासपोर्ट iv. विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड, नियोक्ता आईडी कार्ड (सरकारी/पीएसयू), vi. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, vii. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र। <p>यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (जैसे, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र) साथ लाना होगा। उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन डेटा के आधार पर प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाणपत्र में अंतर होने पर, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
18.	<p>किसी भी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे उम्मीदवार/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।</p>
19.	<p>यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी पेपर/चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करता है यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश आगामी चरण/अंतिम चयन के लिए योग्य नहीं है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पूर्व, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन करना होगा।</p>
20.	<p>यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस से संपर्क करना होगा।</p>
21. देय शुल्क: ₹100/- (केवल एक सौ रुपये)। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।	
22.	<p>उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें पूरी शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीदवार अपने जोखिम पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे।</p>

23.	यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर सिर पर चोट (उभार/सूजन) लगाता है या अपनी लंबाई का फायदा उठाने के लिए सिर पर इमली रखता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
24. पीई	एवं एमटी के दौरान किसी भी ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
25.	प्रत्येक केंद्र पर शारीरिक माप परीक्षण के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है/सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण के विरुद्ध कोई अपील नहीं है।
26.	परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग व्यापक परीक्षा-पक्षात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारी रद्द करना तथा भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वंचित करना शामिल है।
27. पूछताछ प्रक्रोष	किसी भी प्रश्न के लिए, उम्मीदवार भर्ती सेल, न्यू पुलिस लाइंस, किंग्सवे कैप, दिल्ली-110009 में दिल्ली पुलिस भर्ती सेल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर हर दिन सुबह 09.30 बजे से शाम 06.00 बजे के बीच टेलीफोन नंबर: - 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206।

सचिव के तहत¹
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

22.09.2025

(ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित दो भाग शामिल हैं:-

- I. एकमुश्त पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना

भाग-I (एकमुश्त पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एकमुश्त पंजीकरण फॉर्म' और 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल पर प्रवेश के लिए हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीरें, मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है।
सभी उम्मीदवारों के पास परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) के समय आधार संख्या का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित करने का विकल्प है। जो उम्मीदवार आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपना एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
4. एकमुश्त पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा)
 - ब. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित)। c. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित में से कोई एक आईडी संख्या दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा):
 - i.मतदाता पहचान पत्र
 - ii.पैन
 - iii.पासपोर्ट
 - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
 - v.स्कूल/कॉलेज आईडी
 - vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/निजी)
 - घ. मैट्रिक्युलेशन (10वीं) परीक्षा के बोर्ड, रोल नंबर और उत्तीर्ण वर्ष के बारे में जानकारी।
5. एकमुश्त पंजीकरण के लिए आयोग की नई वेबसाइट <https://ssc.gov.in> पर उपलब्ध कराए गए 'लॉगिन या रजिस्टर' अनुभाग में दिए गए 'अभी पंजीकरण करें' लिंक पर क्लिक करें।

6. एक बार पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना आवश्यक है:

- क. व्यक्तिगत विवरण
- ख. पासवर्ड निर्माण
- ग. अतिरिक्त विवरण.
- घ. घोषणा.

7. 'एकमुश्त पंजीकरण फॉर्म' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित का पालन करें

चरण:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी भी गलती से बचने के लिए, पंजीकरण फॉर्म के संवंधित कॉलम में कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि) दो बार दर्ज करना आवश्यक है। यदि मूल और सत्यापित डेटा कॉलम में कोई अंतर पाया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और लाल रंग में संकेत दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1, आधार संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे: -

- i. नाम के प्रमाण के लिए जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़
 - ii. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, iii. पते के प्रमाण के लिए जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित तस्वीर के साथ बैंक स्टेटमेंट, किराया समझौता, आयकर मूल्यांकन आदेश।
 - iv. फोटोग्राफ़।
- लिंग प्रमाण के लिए जैसे मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रमाणपत्र।

सी. क्रम संख्या-2: अपना नाम मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) में दिए गए नाम के अनुसार ही भरें।
प्रमाणपत्र।

घ. क्रम संख्या-3: यदि आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो
मैट्रिकुलेशन, एस नं.-3ए और 3बी पर इसे इंगित करें।

ई. क्रम संख्या-4: अपना लिंग (पुरुष/महिला) बताएं।

एफ. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन फॉर्म में दी गई तारीख के अनुसार ही भरें।
(10वीं कक्षा) प्रमाण पत्र।

छ. क्रम संख्या-6: अपने पिता का नाम मैट्रिकुलेशन (10वीं) फॉर्म में दिए गए नाम के अनुसार ही भरें।
कक्षा) प्रमाण पत्र।

एच. क्रम संख्या-7: अपनी माता का नाम मैट्रिकुलेशन (10वीं) फॉर्म में दिए गए नाम के अनुसार ही भरें।
कक्षा) प्रमाण पत्र।

i. क्रम संख्या-8 से 10: मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) परीक्षा विवरण जो
शामिल करना:

- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
- ii. रोल नंबर
- iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

जे. क्रम संख्या-11: शैक्षिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)।

क. क्रम संख्या-12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक चातू मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा आपको भेजी जाने वाली कोई भी जानकारी केवल इसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पासवर्ड प्राप्त करने के लिए भी आपके मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा।

1. क्रम संख्या-13: आपकी ईमेल आईडी। यह एक कार्यशील ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा आपको भेजी जाने वाली कोई भी जानकारी भेजी जाने वाली कोई भी जानकारी केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पासवर्ड/पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

एम. अपने स्थायी पते के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

न. क्रम संख्या 1 से 13 तक दिए गए मूल विवरण सहेजे जाने के बाद, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करना होगा। पुष्टि होने पर, आपका डेटा सहेज लिया जाएगा और आपकी पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपका पंजीकरण नंबर और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्रदान किया जाएगा।

०. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा अब तक सहेजे गए आपके पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

पी. अपने पंजीकरण नंबर को उपयोगकर्ता नाम के रूप में और अपने मोबाइल और ईमेल पर आपको दिए गए स्वचालित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

पासवर्ड निर्माण

प्र. पहली बार लॉगइन करने पर पूछे जाने पर अपना पासवर्ड बदलें।

आर. पासवर्ड सफलतापूर्वक बदलने के बाद, आपको अपने पंजीकरण नंबर और बदले हुए पासवर्ड का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा।

सफल लॉगिन पर, आपके द्वारा अब तक भरी गई 'मूलभूत जानकारी' की जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो, तो आप इसे संपादित कर सकते हैं या अपना एकमुश्त पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'अगला' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।

अतिरिक्त विवरण

टी. एस. नं.-1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

यू. एस. नं.-2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

बनाम एस. सं.-3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा अन्य हैं तो संपर्क विवरण प्रदान करें।

व. क्रम संख्या-4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। परीक्षा के विभिन्न चरणों में आपको उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना आवश्यक हो सकता है।

x. क्रम संख्या-5: यदि कोई विकलांगता हो, तो उसकी जानकारी प्रदान करें। यदि आप किसी विशेष मानक विकलांगता से पीड़ित हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त मानी गई है, तो विकलांगता प्रमाणन संख्या प्रदान करें।

क्रम संख्या 6 से 7: अपने स्थायी और वर्तमान पते की जानकारी प्रदान करें। डेटा को सेव करें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग पर आगे बढ़ें।

z. दी गई जानकारी को सुरक्षित रखें। 'अंतिम सबमिट' करने से पहले, ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें और दी गई जानकारी की अच्छी तरह समीक्षा करें।

आ. 'घोषणा' को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यदि आप घोषणा से सहमत हैं, तो क्लिक करें 'मैं सहमत हूं'।

bb. 'फाइनल सबमिट' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएँगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको निर्धारित फ़िल्ड में दो ओटीपी में से एक दर्ज करना होगा।


सीसी. बुनियादी जानकारी जमा करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आपका डेटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

8. आप अपने वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) डेटा को संपादित/संशोधित नहीं कर सकते, वन-टाइम रजिस्ट्रेशन में विवरण भरते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। गलत/

गलत जानकारी के कारण हमारी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

9. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण के अनुसार ही भरें। गलत/गलत जानकारी देने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

एकमूश्त पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट



CandidateAdmin×

Username (Registration Number) *

Registration Number

Password (SSC Registration Password) *Forgot Password

B8gBqRefresh

Captcha *Refresh

Login

New User ? Register Now

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search  Login or Register 

← Homepage > One Time Registration

New Candidate

One Time Registration

**Personal Details**
Candidate's Name, Identification, Contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's Nationality, Address, Education

**Declaration**
Candidate's Details, Confirmation

Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.

Continue

**Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search Logout Login or Register

 Personal Details Candidate's name, identification, contact

 Password Creation Create New Password

 Additional Details Candidate's nationality, address, education

 Declaration Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card? *

Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. 92026297292

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *

eg. 109010107710

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Shmt/ Mr/ Mrs/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name? *

Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Shmt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter 'Roll Code - Roll No.'

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

 Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582362

Last updated on Feb 13, 2024


 Government of India
 Staff Selection Commission

Feedback | SSC Old Website
Search
Login or Register

↳ Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *

Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)

No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)

No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)

No file chosen

Please Upload Photo

No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)

No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Shri/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof etc.).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *

Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc.).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc.).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
 2. Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).
 3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search  Login or Register 

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

>Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

Your Registration Number
10000000459

Note

1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.

Continue

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # \$ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset **Save & Next**

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024



Government of India
Staff Selection Commission

Feedback | SSC Old Website

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *

a. Verify Category *

2. Nationality *

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *

c. District *

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *

a. Address *

b. State/UT *

c. District *

d. Pin Code *

Save & Next



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश: -

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

तैयारी/ विवरण/ डेटा तैयार:

अ. आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई तस्वीर साफ़ हो, बिना टोपी या चश्मे के हो, और सामने से पूरा दृश्य दिखाई दे। स्वीकार्य/ अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने अनुलग्नक-V में दिए गए हैं। यदि ली गई तस्वीर स्वीकार्य नमूने के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तस्वीर दोबारा लें। जिन आवेदन पत्रों में तस्वीरें स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लाइव तस्वीरें लेते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें: -

- (i) अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाला स्थान ढूँढें। (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो।
- (iii) अपने आप को कैमरे के ठीक सामने रखें और सीधे देखें आगे।
- (iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए, और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।
- (v) फोटो खींचते समय अभ्यर्थियों को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो उम्मीदवार कैमरे से अपनी तस्वीर नहीं खींच पा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे "अपलोड डॉक्यूमेंट्स" के क्रम संख्या 1 पर दिए गए क्यूआर कोड का उपयोग करके गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल उपकरणों से अपनी तस्वीरें लें। तस्वीर बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए और चेहरा सामने से दिखाई देना चाहिए। जिन तस्वीरों वाले आवेदनों की तस्वीरें स्वीकार्य नमूने [अनुलग्नक-III (4/4)] के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्वीकार्य/ अस्वीकार्य तस्वीरों के नमूने अनुलग्नक-III (4/4) में दिए गए हैं।

ख. स्कैन किए गए हस्ताक्षर JPEG/JPG प्रारूप (10 से 20 KB) में होने चाहिए। हस्ताक्षर का आकार लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धूंधले हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हालाँकि, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई तस्वीर और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन करें।
3. दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के पद के लिए 'आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें परीक्षा, 2025' अनुभाग में 'लाइव परीक्षा' टैब के अंतर्गत जाएं।
4. क्रम संख्या 1 से 18 तक के कॉलमों की जानकारी आपके वन-टाइम पासवर्ड से स्वतः भर दी जाएगी। समय पंजीकरण डेटा जो संपादन योग्य नहीं है।
5. क्रम संख्या 19 - अपनी उच्चतम शैक्षिक योग्यता बताएं।

6. क्रम संख्या 20 - अर्हक शैक्षिक योग्यता का विवरण दर्शाएं (पैरा संख्या 20 के अनुसार) परीक्षा नोटिस की धारा 5.11 (ईएसएम), 7.1 एवं 7.2)।
- क. क्रम संख्या 20.1 - अपनी शैक्षिक योग्यता (ईक्यू) स्थिति बताएं।
- ख. क्रम संख्या 20.2 - उत्तीर्ण वर्ष बताएं।
- सी. क्रम संख्या 20.3 - बोर्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बताएं।
- घ. क्रम संख्या 20.4 - बोर्ड का नाम बताएं।
- ई. एस. सं. 20.5 - अपना रोल नंबर बताएं। एफ. एस. सं. 20.06 - अपना प्रतिशत बताएं (जिन अभ्यर्थियों के पास वर्ष 2020 और 2021 के लिए COVID-19 या किसी अन्य कारण से उनके अंक पत्र पर उनका प्रतिशत उल्लेख नहीं है, वे एनए दर्ज कर सकते हैं)।
-

- छ. क्रम संख्या 20.7 - यदि लागू हो तो अपना सी.जी.पी.ए. बताएं।
7. क्रम संख्या 21 - यदि आप अन्य पिछ़ड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत किसी जाति से संबंधित हैं, तो 'हाँ' चुनें। यह छूट केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है (नोटिस का पैरा 6.2 देखें)।
8. क्रम संख्या 22 - यदि आप भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें 'नहीं' चुनना चाहिए।
- क. क्रम संख्या 22.1 - सशस्त्र बलों में शामिल होने की तिथि बताएं।
- ख. क्रम संख्या 22.2 - सशस्त्र बल से छुट्टी की तिथि/छुट्टी की संभावित तिथि बताएं बल।
- सी. क्रम संख्या 22.3 - सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि बताएं।
- घ. क्रम संख्या 22.4 - यदि आपने भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए आरक्षण का लाभ उठाकर पहले ही सिविल पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो 'हाँ' दर्शाएं (परीक्षा नोटिस के पैरा 5.3 का संदर्भ लें)।
9. क्रम संख्या 23 - यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए ईएसएम के रूप में विशेष कोटा के लिए पात्र हैं तो 'हाँ' चुनें (परीक्षा नोटिस के पैरा 3.1 का संदर्भ लें)।
10. क्रम संख्या 24- यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'हाँ' चुनें (परीक्षा नोटिस के पैरा 5.5 का संदर्भ लें)।
11. क्रम संख्या 25 - यदि आप 'विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग' महिला हैं तो 'हाँ' चुनें।
12. क्रम संख्या 26 - यदि आप सेवारत, सेवानिवृत्त या मृतक के पुत्र/पुत्री हैं तो 'हाँ' चुनें दिल्ली पुलिस के कार्मिक/मल्टी-टास्किंग स्टाफ।
13. क्रम संख्या 27 - यदि आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है तो 'हाँ' का चयन करें।
14. क्रम संख्या - 27.1: अपने खेल का अनुशासन चुनें।
15. क्रम संख्या 28 - यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो 'हाँ' चुनें।
- क. क्रम संख्या 28.1 - उपयुक्त आयु-छूट कोड का चयन करें (नोटिस के पैरा 5.1 का संदर्भ लें) परीक्षा।
16. क्रम संख्या 29 - परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी प्राथमिकताएँ बताएँ। आप देश भर में तीन परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों का विकल्प चयन करें क्रम में दिया जाना चाहिए। (परीक्षा सूचना के पैरा 11.1 का संदर्भ लें)
17. क्रम संख्या 30 - यदि आप एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हैं तो 'हाँ' चुनें (परीक्षा नोटिस के पैरा 7.7 का संदर्भ लें)।

क्रम संख्या 30.1 - एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (एनसीसी प्रमाणपत्र के प्रकार के रूप में)।

18. क्रम संख्या 31 - यदि आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, तो 'हां' चुनें (परीक्षा नोटिस के पैरा 7.8 का संदर्भ लें)।

क्रम संख्या 31.1 - डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त कक्षा का नाम बताएं।

फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें (हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्देश अनुलग्नक-III में दिए गए हैं): -

19. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बिना चश्मे/टोपी के अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करें:

- क. अच्छी रोशनी और सादे पृष्ठभूमि वाला स्थान ढूँढें।
- ख. फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आपकी आंखों के स्तर पर हो।
- ग. कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएं और सीधे देखें।
- घ. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चिह्नित लाल आयताकार क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।
- इ. उम्मीदवार को फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए।
- तस्वीर।
- च. किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें ली गई हैं, अस्वीकार कर दिए जाएँगे। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- छ. फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई अन्य उपकरण न पहनें।

20. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें: -

- क. स्वीकृत छवि आकार: JPEG/JPG फारूप में 10KB से 20KB तक।
- ख. छवि आयाम: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई)।
- ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होना चाहिए।
- इ. स्वीकार्य और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने अनुलग्नक-III (2/4) में दिए गए हैं।

21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप स्वीकार करते हैं तो "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करें कैप्चा कोड भरें।

22. आपके द्वारा दी गई जानकारी का पूर्वालोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं, तो 'संपादन/संशोधन' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सुधार करें। जब आप संतुष्ट हो जाएँ कि जानकारी सही भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वालोकन और सत्यापन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं कर पाएँगे।

23. यदि आपको शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है तो शुल्क भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

24. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके। परीक्षा सूचना के पैरा 9 का संदर्भ लें। शुल्क भुगतान के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

25. ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार कर लिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषय-वस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में दर्शाई जाएगी। उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य ले लें।

Feedback: SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Online Application Form
Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the Notice of Examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself/ herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand/ sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his/ her signature in JPEG/ JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Form with blurred/ miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, Master Card, Maestro, or RuPay, Debit Card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईसी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 के बीच) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (बौद्धाई X 2.0 सेमी (ऊचाई) होना चाहिए। धुधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेरस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

[Fill Form >](#)

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586242

Last updated on Jun 13, 2025

एक।

उम्मीदवार की जानकारी:

1.1. व्यक्तिगत विवरण:

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at 5 No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/01/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD):
undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

1.2.शिक्षा विवरणः

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)



Government of India
Staff Selection Commission

User Profile  

← Candidate Dashboard
> Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select 

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select 

Please refer to Para 5.11 (ESM) and Para 7 of the Notice of Examination

20.1. EQ Status: *

Select 

20.2. Passing Year: *

Select 

20.3. State/ UT of Board: *

Select 

20.4. Name of Board: *

Select 

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage:

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back
Save & Next



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us

Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

बी। अतिरिक्त जानकारी:

2.1. अतिरिक्त जानकारी-I:

Feedback: SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details

2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Do you possess OBC Category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.2

Yes No

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

Yes No

23. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.1

Yes No

24. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.5

Yes No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:

Yes No

25. Whether a widow/ divorced/ judicially separated woman? *

Yes No

26. Whether son/ daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi Tasking Staff of Delhi Police? *

Yes No

27. Have you represented a State at the National level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of Online Application Form? *

Yes No

27.1. Please select the discipline of your sport: *

Archery

28. Whether seeking Age Relaxation? *

Yes No

Note: In case no age relaxation is applicable, please select 'No'.

28.1. If Yes, Age Relaxation Code: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

Go Back Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

2.2. अतिरिक्त जानकारी-II:

Feedback: SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details

2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

29. Preference of Examination Centres: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

Preference 1: Select

Preference 2: Select

Preference 3: Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10.1

Yes No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:

Yes No

30.1. Type of the NCC Certificate *

Select

Confirm Type of NCC Certificate:

Select

31. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by the Rashtriya Raksha University (RRU)? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8

Yes No

31.1. Indicate the name of the class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *

Select

Go Back Save & Next

सी। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें: _____

Feedback : SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Profile Picture

1 Candidate Information
← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

2 Personal Details
Upload Photograph & Signature

3 Education Details
To download the app from the play store, scan the below QR code

4 Additional Information

5 Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
[Click here to read](#)
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back
Save & Next

**Staff Selection
Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- [Archives](#)
- [Disclaimer](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Website Policies](#)
- [Web Information Manager](#)

Contact Us

Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

Instructions to Candidates for uploading of signatures

- 1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures.

Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.




Cut the box & Sign within the box


- 2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval



2. Rejected



3) The major reasons for rejection photographs are :

- (i) Photo without plain background.
- (ii) Candidates wearing caps
- (iii) Candidates taking photos without shirts.
- (iv) Photo not sufficiently bright.
- (v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.





4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval



2. Rejected



नियोजित कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती जो (यूनिट/कार्यालय) में (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, ने (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक के तहत विज्ञापित के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं, उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती के संबंध में सत्यापित करता/करती हूँ।

(नाम) क्रमांक (रैंक), निम्नानुसारः -

i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि वर्ष (शब्दों में) पूरी कर लेगा/लेगी, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, (तारीख) को।

श्री/कुमारी/श्रीमतीसैन्य सेवा छोड़ने के समयवर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी करेंगे।

ii. उसे पदों पर चयन होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमांडिंग ऑफिसर

जगह: (हस्ताक्षर)

दिनांकितः

कार्यालय मुहर

सिविल सेवा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत पद

मैं समझता/समझती हूं कि यदि इस आवेदन पत्र से संबंधित भर्ती परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूं।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.8.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था.(आरक्षण) के अनुसार, यदि मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता/करती हूं, तो मैं किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती हूं, बशर्ते कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, जैसे ही मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होता/होती हूं, मुझे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के तिथिवार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, उन रिक्तियों के संबंध में जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

पूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन

मैं रोल नंबर

..... के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना।

परीक्षा, 20....., इसके द्वारा वचनबद्धता व्यक्त करता हूँ कि:

(क) मैं समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् नियमित आधार पर समूह 'ग' और 'घ' पदों पर सिविल सरकारी नौकरी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; या

(ग) मैंने सिविल में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उपर्युक्त परीक्षा, जिसके लिए मैंने आवेदन किया था, के लिए आवेदन की तिथिवार विस्तृत जानकारी के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है; या

(घ) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ पहले ही ले लिया है। मैंने के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर:

नाम:

रोल नंबर:

तारीख:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

मुक्ति की तारीख:

अंतिम इकाई/कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:

एससी/एसटी प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक का सदस्य होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रारूप में उस ज़िले के ज़िला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या नीचे दिए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जहाँ उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया गया हो। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हैं, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस ज़िले का होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा अन्य कारण से सामान्यतः निवास करता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

पुत्र/पुत्री गांव/शहर/* में

जिला/मंडल * _____ का

राज्य/संघ

क्षेत्र*

जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

जाति/अनुसूचित जनजाति* के अंतर्गत:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति)

संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित)

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976@ द्वारा संशोधित

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@ संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@27

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @ संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,

1996।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 2002 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 संविधान

(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पलायन कर गए हैं।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती _____ पिता/माता _____ श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ गांव/
 कस्बा* _____ जिला/मंडल* _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश* _____ को जारी
 किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो उस जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित के रूप में मान्यता प्राप्त है
 में

जनजाति _____ में _____ राज्य/संघ _____ इलाका* _____ जारी किए गए _____ द्वारा
 _____ दिनांक _____।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल के गांव/कस्बा/मुहरें हैं। आमतौर पर

_____.

हस्ताक्षर _____

** पद का नाम _____

(कार्यालय की मुहर के साथ)

जगह

तारीख

- * कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते
- @ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें
- % जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

टिप्पणी

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः निवास करने वाले का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।

(iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का पारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री

_____ गाँव/कस्बे का _____ जिला/मंडल में

_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में _____

के अंतर्गत आता है _____ समुदाय जिसे पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 104 के अनुसार।

_____ दिनांकित _____*. श्री/श्रीमती/कुमारी

_____ और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः _____ में रहता है

जिला/विभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र। यह भी

प्रमाणित करें कि वह कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसूचित का.ज्ञा. सं.

36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 8.9.1993**.

जिला अधिकारी

उपायुक्त आदि.

दिनांकित:

मुहर:

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

** समय-समय पर संशोधित।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)
 आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है
 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग

प्रमाण पत्र सं.

तारीख:

वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ के स्थायी निवासी, गाँव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____ जिनकी तस्वीर नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उनकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है*^{**} :

- *. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि; 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट; अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग तृतीय. गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट; अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध है

श्री/श्रीमती/कुमारी वह जाति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

अंतर्गत आता है

को

पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची)

आवेदक की हाल ही की पासपोर्ट आकार की सत्यापित तस्वीर

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम _____

पद का नाम _____

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

उन उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप जो

ऊंचाई या छाती माप में छूट प्राप्त करने के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____

गांव _____, राज्य।

श्री _____ के पुत्र स्थायी निवासी हैं

तहसील/तालुका _____ का ज़िला _____

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

*

गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा वर्ग के अभ्यर्थी तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थी।

*

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा तथा गोरखा प्रादेशिक क्षेत्र के उम्मीदवार प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल शामिल हैं दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग और इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप-विभाग शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ वन, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेंगा, (5) पानीधाटा, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहाड़, (8) सुकना वन, (9) सुकना भाग-1, (10) पंतापति वन-1, (11) महानदी वन, (12) चंपासारी वन, (13) सालबारी छत भाग-2, (14) सिटोंग वन, (15) सिवोक हिल वन, (16) सिवोक वन, (17) छोटा चेंगा, (18) निपानिया।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

तारीख:

जगह:

* जो लागू न हो उसे हटा दें।

आयु के अनुसार पात्र खेल/खेलों के खिलाड़ीविश्राम.

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स 3. बैडमिंटन
4. बास्केटबाल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साइकिल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्मास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी 14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी 17. शूटिंग
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्राइथलॉन
21. वालीबाल
22. कुश्ती
23. भारोत्तोलन

(किसी मान्यता प्राप्त खेल/खेलकूद की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

राज्य संघ

में

खेल _____

जारीकर्ता प्राधिकारी
द्वारा विधिवत
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार का फोटो।

(राज्य ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध)

मेधावी खिलाड़ी को रोजगार हेतु प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' सेवाएं

प्रमाणित श्री/श्रीमती/कुमारी/हैं _____ श्री _____, जन्म तिथि _____ पता) राज्य का पुत्र/पत्नी/पुत्री (राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में
प्रतिनिधित्व किया खेल/चैम्पियनशिप _____ से _____
में पूर्ण) जो _____ से _____
तक आयोजित की गई हो।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण पत्र राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

जगह _____

तारीख _____

हस्ताक्षर _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद का नाम _____

राज्य संघ/ महासंघ का नाम

पता _____

मुहर _____

पद का नाम _____

राज्य संघ/महासंघ का नाम _____ नोट: यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य संघ के सचिव द्वारा
व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

अनुबंध- सी

(किसी मान्यता प्राप्त खेल/खेलकूद की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ

का _____

(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

जारीकर्ता प्राधिकारी
द्वारा विधिवत
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार का फोटो।

मेधावी खिलाड़ी को रोजगार हेतु प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' सेवाएं

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ श्री _____ जन्म तिथि के निवासी ने _____ से _____ तक आयोजित प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के खेल/वैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। _____

बेटा/पत्नी/बेटी
(पूरा पता) में_____
पर _____

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन _____।

नाम

हस्ताक्षर

जगह _____

तारीख _____

पद का नाम
राज्य संघ/महासंघ का नाम

पता

मुहर

नोट: यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब सचिव, राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

उम्मीदवार को वार्ड के रूप में दर्शने वाला प्रमाण पत्र
सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक पुलिस कर्मी या बहु-
दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को कार्य सौंपना।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती. _____ (पुलिस कार्मिक/एमटीएस का नाम) रैक जिला/यूनिट है।

रेंज/कार्स्टेबुलरी नंबर/पीआईएस नंबर सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक/उसका बेटा/अविवाहित बेटी _____ से मैं _____ दिल्ली पुलिस में कार्स्टेबल की अनंतिम _____ (नाम) परीक्षा में शामिल होना चाहता हूँ।

दिनांकित _____।

डीसीपी/एडीडीएल.डीसीपी/एसीपी/मुख्यालय के हस्ताक्षर _____
संबंधित जिला/इकाइयों के।
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

उम्मीदवार को विभागीय उम्मीदवार के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.

(पुलिस का नाम)

कार्मिक), रेंज/कांस्टेबली/बैल्ट नंबर _____ और पीआईएस नंबर _____

दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए _____

और तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है

वर्तमान पद/विभाग। वह वर्तमान में कहाँ तैनात है?

ज़िला/

दिल्ली पुलिस की इकाइयों में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष/महिला की भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं।

दिल्ली पुलिस में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है।

संतोषजनक ढंग से _____

और अपनी सेवा के दौरान, उन्हें सम्मानित किया गया है

_____ प्रमुख और _____

छोटी सज्जाओं की संख्या। वर्तमान में कोई डीई/पीई/ नहीं है

रिकार्ड के अनुसार उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है (यदि हाँ तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

डीसीपी/अतिरिक्त डीसीपी/एसीपी/मुख्यालय के हस्ताक्षर
संबंधित ज़िला/इकाइयों के।

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांकित _____.

नोट: 'विभागीय उम्मीदवार' का तात्पर्य दिल्ली पुलिस में भर्ती बैंडमैन, बुगलर, घुडसवार कांस्टेबल, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर, डॉग-हैंडलर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ से है, जिसने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा की हो और जो अन्यथा सभी शैक्षिक और अन्य शारीरिक योग्यताएं पूरी करता हो।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कोड

शैक्षणिक योग्यता	कोड
मैट्रिक्युलेशन/ 10वीं कक्षा पास	01
इंटरमीडिएट/ उच्चतर माध्यमिक/ 10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी० ए	05
बी० (ऑनर्स)	06
बी०. कॉम.	07
बी०.कॉम. (ऑनर्स)	08
बी०एससी	09
बी०एससी. (ऑनर्स)	10
बिस्तर।	11
एलएलबी	12
बीई	13
बी०टेक	14
एएमआईई (भाग ए और भाग बी)	15
बी०एससी. (इंजी.)	16
रक्षा	17
(भारतीय	18
सेना, वायु सेना, नौसेना) द्वारा जारी बीसीए बीबीए स्नातक	19
बी०. लिब.	20
बी०.फार्मा.	21
आईसीडब्ल्यूए	22
सीए	23
पीजी डिप्लोमा	24
एमए	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एलएलएम	29
एमई	30
एम.टेक.	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35
